

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक: एस्टे/एम/एफ.10(भर्ती)/आरएमएस(टी)/डीएलबी/22/20923

दिनांक: 12/10/2022

आदेश

राजस्थान नगर पालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा 1963 के नियम 22 (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान नगर पालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा चयन आयोग, जयपुर द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित नगर निकाय में कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) डिग्रीधारी/डिप्लोमाधारी के पद पर नियुक्ति दिये जाने की एतद्द्वारा निर्देशानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) (डिग्रीधारी)

S. NO.	RANK	ROLL NO.	NAME	CAT	DOB	Sel. Cat	Posting Municipality
1	1	313722	PRAKHAR GOYAL	GEN-EWS	05-Mar-95	GEN	SAWAI MADHOPUR
2	2	309895	RAKESH KUMAR SAINI	OBC	15-Jun-94	GEN	DAUSA
3	3	303622	RAMESH CHAND YADAV	OBC	03-Jul-97	GEN	AJMER
4	4	302097	SURESH KUMAR	OBC	11-Dec-95	GEN	BARMER
5	5	305567	MD TARIQ JAMALI	GEN	27-Sep-95	GEN	BANSWARA
6	6	300621	MANISH KUMAR RAJORA	OBC	15-Oct-95	GEN	JAIPUR GREATER
7	7	302918	MAHENDRA BAJYA	OBC	09-Apr-93	GEN	NAGAU
8	8	306639	ANOOP SINGH DHAKA	OBC	18-Sep-95	GEN	JHUNJHUNU
9	9	312209	PRABHU DAYAL PRAJAPAT	OBC	08-May-97	GEN	BHARATPUR
10	10	307780	BALOO RAM GURJAR	MBC	10-Jul-93	GEN	RAJSAMAND
11	11	311633	GAJENDRA SINGH	OBC	31-Oct-96	GEN	MOUNT ABU
12	12	312703	RAJKUMAR MAWALIYA	OBC	15-Jul-00	OBC	UDAIPUR
13	13	301079	JETHU SINGH	GEN-EWS	12-Jan-94	GEN-EWS	JAISALMER
14	15	316035	CHETAN PRAKASH GARG	GEN-EWS	05-Aug-97	GEN-EWS	KARAULI
15	16	307475	SUSHIL	OBC	01-May-98	OBC	CHURU
16	17	306285	RAVINDRA SINGH	GEN-EWS	15-Aug-99	GEN-EWS	AJMER
17	18	311485	SUKHDEV VISHWAS	OBC	14-Aug-99	OBC	CHITTORGARH
18	19	313736	ASHOK KUMAR HUDDA	OBC	07-Dec-93	OBC	SRIGANGANAGAR
19	21	310413	MAHENDRA GODARA	OBC	08-Jul-94	OBC	BIKANER
20	22	307091	SANJEEV VERMA	SC	06-Nov-99	SC	JAIPUR GREATER
21	23	314171	RAGHUNATH PURI	OBC	04-Jul-93	OBC	UDAIPUR
22	25	303272	PREMA RAM	SC	11-Feb-93	SC	BEAWAR
23	26	302948	DEEPIKA PAREEK	GEN-EWS	01-Jul-98	GEN	SIKAR
24	27	304380	HAR LAL	OBC	17-Jul-96	OBC	BALOTRA
25	28	307042	ANKIT MEENA	ST	13-Mar-98	ST	KOTA NORTH
26	37	304656	AJAY KUMAR VERMA	SC	06-Jan-91	SC	KOTA NORTH
27	45	314747	VIDHI SHARMA	GEN	16-Nov-97	GEN	JAIPUR GREATER
28	52	301744	HARSHIT DHAWAL	SC	01-Sep-95	SC	BIKANER
29	56	300362	NAVEEN KUMAR	SC	06-Jul-99	SC	KOTA SOUTH
30	80	300056	SANGEETA	OBC	10-Nov-94	GEN	JAIPUR HERITAGE
31	89	300695	SONIYA CHANDAWAT	GEN-EWS	03-Aug-97	GEN	JODHPUR NORTH
32	96	305958	SAROJ SIRVI	OBC	07-Jul-96	GEN	JODHPUR SOUTH
33	100	300323	SANTOSH OLA	OBC	20-Apr-01	OBC	UDAIPUR
34	101	303209	SANGITA	OBC	14-May-98	OBC	JODHPUR NORTH
35	119	301836	RAUNAK DHABAI	MBC	11-May-98	MBC	JHALAWAR
36	134	308180	JAISHREE JINGAR	SC	23-Nov-96	SC	SRI GANGANAGAR
37	138	315241	RAHUL KUMAR	ST	06-Jul-95	ST	TONK
38	173	301493	RAVINA KUMARI MEENA	ST	15-May-99	ST	ALWAR
39	186	315968	SANDEEP MEENA	ST	04-Jul-97	ST	JAIPUR HERITAGE
40	190	314859	VIKAS KUMAR MEENA	ST	10-Jul-98	ST	BUNDI

41	193	312436	JYOTI SHARMA	GEN- EWS	05-Sep-92	GEN-EWS	JAIPUR GREATER
42	194	300325	RAJVEER GURJAR	MBC	14-Aug-98	MBC	BARAN
43	224	306770	GUNJAN BAIRWA	SC	05-Sep-99	SC	PALI
44	735	308071	KRISHNA KUMAR GOUR	GEN	29-Oct-91	GEN	ALWAR

कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) (डिप्लोमाधारी) :-


S. NO.	RANK	ROLL NO.	NAME	CAT	DOB	Sel. Cat	Posting Municipality
1	1	408287	MAHESH KUMAR	OBC	26-Aug-94	GEN	JODHPUR SOUTH
2	2	404265	JETHA RAM	GEN EWS	07-Jul-91	GEN	SRI GANGANAGAR
3	3	404385	DILEEP KUMAR	OBC	05-Jun-95	GEN	PALI
4	4	408670	SANDEEP KUMAR CHHANGANI	GEN EWS	18-Oct-91	GEN	CHITTORGARH
5	5	403986	VIRENDRA SINGH SHAKTAWAT	GEN EWS	19-Oct-92	GEN EWS	UDAIPUR
6	6	409835	ANIL KUMAR NAGAR	OBC	15-Mar-96	OBC	KOTA SOUTH
7	7	402379	GOPAL RAM JAT	OBC	06-Jul-94	OBC	BIKANER
8	20	406075	KAMAL KUMAR	SC	20-Jun-94	SC	HANUMANGARH
9	37	402741	DEEPIKA DADHICH	GEN EWS	16-Jul-98	GEN	AJMER
10	41	411250	RAJKUMAR MEENA	ST	18-Mar-95	ST	JAIPUR HERITAGE

अतः निर्देशानुसार उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित नगर निकायों में नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगी :-

1. अभ्यर्थियों की पात्रता एवं योग्यता संबंधी प्राथमिक जांच राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा की जा चुकी है, किन्तु अभ्यर्थी की पात्रता एवं योग्यता संबंधी सम्पूर्ण जांच एवं सत्यापन संबंधित निकाय के आयुक्त/उपायुक्त/अधिकाधिकारी द्वारा अपने स्तर पर भी की जावे। नगरीय निकाय द्वारा जारी नियुक्ति आदेश के अनुसरण में पदभार ग्रहण करने के उपरान्त ही फिक्स वेतन नियमानुसार देय होगा।
2. चयनित अभ्यर्थियों की यह सूची, अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के परीक्षण के अधीन रहेगी। किसी अभ्यर्थी का चयन गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने के आधार पर हो गया हो तो उक्त नियुक्त अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश एवं सेवाएं तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
3. इस आदेश के अधीन संबंधित निकाय द्वारा अस्थायी (Provisional) नियुक्ति आदेश जारी किये जा सकेंगे जिसकी पालना में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन एवं सक्षम अधिकारी द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र तथा विवाह प्रमाण-पत्र, दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् 2 से अधिक संतान नहीं होने, दहेज नहीं लेने/नहीं देने व धूम्रपान, गुटखा व तम्बाकू का सेवन नहीं करने का नोटरी से प्रमाणित शपथ-पत्र व बन्ध पत्र, 100/- रुपये के स्टाम्प पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. उक्त नियुक्ति पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन एवं चिकित्सकीय शारीरिक दक्षता के अधीन होगी। पुलिस-सत्यापन में नियमानुसार नियुक्ति हेतु प्रतिकूल टिप्पणी पाये जाने पर अथवा/और चिकित्सकीय शारीरिक दक्षता नहीं पाए जाने पर नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश संबंधित निकाय द्वारा बिना सूचना के निरस्त किये जा सकेंगे।
5. कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-10(5)डीओपी/ए-2/17 दिनांक 15.05.2018 के अनुसार अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में अटेस्टेशन फॉर्म एवं दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों/राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
6. चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्रों का प्रमाणिक आधार नहीं होने के कारण अभ्यर्थी इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि "यदि कभी उक्त प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो उसे अयोग्य घोषित कर सेवा से पृथक किया जा सकेगा।"
7. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है तथा 01 माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है।
8. नगर निकायों को आवंटित चयनित कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) डिप्लोमाधारी/डिप्लोमाधारी पद के अभ्यर्थी, इस आदेश के जारी होने की दिनांक से अधिकतम 15 दिवस की अवधि में आवंटित नगरीय निकाय के आयुक्त/अधिकाधिकारी के समक्ष मूल दस्तावेज एवं लिखित आवेदन सहित उपस्थित होंगे जिसको

संबंधित निकाय द्वारा रिकार्ड पर लिया जावेगा। इस अवधि के पश्चात इस आदेश के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) डिप्टीधारी/डिप्लोमाधारी पद हेतु चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने के अधिकारी नहीं होंगे और नियुक्ति आदेश निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।


9. उपरोक्त कार्मिकों को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15 (1) वित्त/नियम/2017/ दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 (शिड्यूल IV) के अनुसार दो वर्ष परीवीक्षाकाल अवधि में रुपये 23700/- प्रतिमाह फिक्स रेम्यूनरेशन देय होगा।
10. यह आदेश राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सम्बन्धित रिकार्ड एवं चयनित अभ्यर्थी के दस्तावेजों व अन्य शर्तों के आधार पर, सहवन या अन्य कारण से हुई त्रुटि (यदि कोई हो तो) को संशोधित किये जाने के अध्यक्षीन रहेगा।
11. उपरोक्त पदों से होने वाला वित्तीय भार नगर निकायों के द्वारा ही वहन किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इन पदों के लिए अलग से कोई अनुदान देय नहीं होगा।
उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(हितेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: एस्टे/एम/एफ.10(भर्ती)/आरएमएस(टी)/डीएलबी/21/
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक: 12/10/2022
20924-21218

1. विशेषाधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन व न.वि.विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
4. अध्यक्ष/सचिव, राज्य स्तरीय नगर पालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी सेवा) आयोग, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. जिला कलेक्टर,
6. पुलिस अधीक्षक, जिला
7. मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, जिला.....।
8. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
9. महापौर/सभापति/आयुक्त, नगर निगम/परिषद्/पालिका
10. संबंधित श्री.....। (जरिये रजिस्टर्ड)
11. सुरक्षित पत्रावली।


(राकेश कुमार)
अतिरिक्त निदेशक